न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 126/2016

पालसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति मजहबी निवासी ख्यालीवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. मुंशासिंह
2. जन्टासिंह } पिसरान महेन्द्रसिंह जाति मजहबी निवासी ख्यालीवाला तहसील
3. हरबंससिंह } रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

4. पुती पुत्री महेन्द्रसिंह पत्नी कालासिंह जाति मजहबी निवासी चक 32 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

5. सुरती पुत्री महेन्द्रसिंह पत्नी बेअन्तसिंह जाति मजहबी निवासी देवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

6. भोली पुत्री महेन्द्रसिंह पत्नी सुखदेवसिंह जाति मजहबी निवासी नंदराम की ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7. बंसो पुत्री महेन्द्रसिंह पत्नी अजायबसिंह जाति मजहबी निवासी नंदराम की ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीविजयनगर । —रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955 विरूद्ध आदेश
उपखंड अधिकारी श्रीविजयगनगर दिनांक 08.06.2016

उपस्थितः—

श्री गुरप्रतापसिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्री प्रीतमसिंह अभिभाषक रेस्पो.
श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

18/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक 18.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलांट/वादी ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीविजयगनर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ.की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं0 1 से 7 के नाम संयुक्त खाता में चक 14 बीजीडी के मु.न. 33 प.नं. 184/397 के कि.नं. 21 से 23, मु.न. 34 प.नं. 185/397 के कि.नं. 1 से 25 की 6.072है0 कुल 6.831 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है एवं घरू बंटवारा कर रखा है एवं आपसी बंटवारा के अनुसार प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। अप्रार्थीगण विधिवत विभाजन के भूमि का हस्तान्तरण करना चाहते हैं यदि ऐसा करने में वे सफल हो गये तो प्रार्थी/वादी के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वे विवादित भूमि को रहन, बैय आदि द्वारा अन्तरण नहीं करें एवं प्रार्थी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें। अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 08.06.2016 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी कि वे विवादित भूमि के विशिष्ठ किलावार बेचान नहीं करें, अपने हिस्से का बेचान करते हैं तो प्रतिबन्ध नहीं रहेगा, जिसके विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी की है अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। अधी. न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी.न्यायालय ने विशेष किलाजात बेचान पर प्रतिबंध लगाया है अपना हिस्सा बेचने पर प्रतिबंध

18/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

नहीं लगाया है। किसी को अपने हिस्से के बेचान पर पाबन्दी नहीं लगाई जा सकती। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपनी अपील मीमों के पैरा संख्या 4 में यह अंकित किया है कि अधी.न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है एवं अपील में अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का अनुतोष चाहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब अपीलांट ने अधी. न्यायालय में स्वयं द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया था एवं उस पर ही आदेश पारित किया गया है उस आदेश को ही व निरस्त करवाना चाहता है एवं क्या अनुतोष चाहता है यह अपील मीमों में स्पष्ट नहीं किया है। इसके अतिरिक्त अधी.न्यायालय ने पक्षकारों को पाबन्द किया है कि किसी विशेष किलाजात का बेचान नहीं किया जावे, अपने हिस्से को बेचान किये जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। उक्त आदेश में कोई विधिक भूल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर